न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी—दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 21/2025 जीसीएमएस प्र0स0 — 2024/125 दायर दिनांक 09.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

शिव कुमार पुत्र ईन्दर दास (मालिक व विक्रेता) मै0 सुनीता आईसक्रीम, वार्ड न. 29 नजदीक पीपल चौक सूरतगढ़ निवासी बिजली बोर्ड के पीछे वार्ड न. 19 सूरतगढ़
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः—10.04.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री कवंर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक संख्या प 5(01) चिस्वा/ग्रुप—3/ई—5095/ 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.04.2025 को समय दोपहर 03.10 बजे मै0 सुनीता आईसक्रीम वार्ड न. 29 नजदीक पीपल चौक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पहुँचे। मौके पर श्री शिव कुमार पुत्र श्री ईन्दर दास (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर उक्त निर्माण संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान पर तैयार हो रहे खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में तेयार रखे लगभग 27 किलो खाद्य पदार्थ रबड़ी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राईफूट) को आमजन को विक्रय वास्ते होना बताया। उक्त खाद्य पदार्थ रबड़ी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राईफूट) में गुणवत्ताहीन का शक होने पर मालिक से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ रबड़ी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राईफूट) का नमूना लेने हेतु मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री शिव कुमार (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री शिवकुमार (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ लगभग 27 रबड़ी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राईफूट) में से 1 किलो 200 ग्राम को वजनी कर मालिक से खरीद कर लिया। मालिक को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ रबड़ी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राईफूट) का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रबड़ी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राईफूट) को एकरूप कर बराबर भाग में 300—300 ग्राम में बांटकर चार बोतलों में भर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 36—36 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक—के—2799 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर ... की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. के—2799 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर ... गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री शिव कुमार (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग गय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जगा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म से 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6. की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2025/686–88 दिनांक 20.05.2025 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (दूध, चीनी, कस्टर्ड, ड्राई फूट) का नमूना जांच रिपोर्ट संख्या L.S.-495/Act/2025/495 दिनांक 06.05.2025 Substandard Food होना पाया गया। इसी पत्रांक द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री शिव कुमार पुत्र श्री ईन्दर दास (मालिक व विक्रेता) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, परन्तु श्री शिव कुमार पुत्र श्री ईन्दर दास (मालिक व विक्रेता) ने पुनः जांच करने का आवेदन श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 27.06.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक साद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/864–65 दिनांक 07.07.2025 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री शिव कुमार पुत्र श्री ईन्दर दास (मालिक व विक्रेता), मैसर्स सुनीता आईसक्रीम, वार्ड नं–29, नजदीक पीपल चौक, सूरतगढ़, निवासी बिजली बोर्ड के पीछे, वार्ड नं–19, सूरतगढ़, जिला– श्रीगंगानगर ने खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (दूध, धीनी, कस्टर्ड, ड्राई फ्रुट) Substandard Food का विक्रय/निर्माण करके एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 20(2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् विक्रेता व मालिक एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा–31 की श्रेणी में आ है।अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाये, ताकि जनहित में अमानक स्तर Substandard Food के खाद्य पदार्थो का विक्रय रोका जा सके।

4. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह संधू हाजिर आये। अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23–04–2025 को मेरे प्रतिष्ठान मे श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी आये और मेरे द्वारा निर्मित रबडी कुल्फी का सैम्पल लिया। उक्त सैम्पल SUB STANDARD FOOD पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपनी तरफ से काफी ध्यान रख कर पूर्ण साफ सफाई रखकर व बाजार से अच्छी कम्पनी का सामान लाकर ही रबड़ी कुल्फी तैयार की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 23–04–2025 को सैम्पल लिया गया था जबकि उक्त सैम्पल जांच हेतु बीकानेर लैब में दिनांक 28–04–2025 को 5 दिन बाद भेजा गया था। जिसका परिणाम दिनांक 06–05–2025 को दिखाया गया है। सैम्पल लिये जाने के बाद इतने दिन तक सैम्पल को रखने से स्वयं ही खराब हो जाते है। जांच अधिकारी द्वारा सैम्पल लेने के पश्चात उस सैम्पल के सही रखने के सम्बन्ध में कोई भी उचित प्रबन्ध नही किये गये थे जिस कारण से उक्त सैम्पल SUB STANDARD FOOD हो गया है। अप्रैल माह में अत्यधिक गर्मी होने के कारण दुधारू पशु भी कम दुध देते है और फेट की मात्रा में भी कमी पाई जाती है क्योकि गर्मी का प्रभाव दुधारू पशु के अनुकुल व वातावरण व आवश्यक चारा नही मिल पाता है। जिससे दुधारू पशु अच्छी फैट का दुध नहीं दे पाते है। मेरे द्वारा अच्छी किस्म का दुध लेकर व अच्छी कम्पनी का सामान लेकर रबड़ी कुल्फी तैयार की गई थी। जिसकी विक्रय हेतू अप्रार्थी द्वारा डी–फिज की व्यवस्था की हुई थी। यहां तक अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे उनका रबडी कुल्फी का सैम्पल SUB STANDARD FOOD पाया जाये। जांच अधिकारी द्वारा ही सैम्पल लेने के समय और इसको सुरक्षित रखने के लिए कोई भी उचित प्रबन्ध व व्यवस्था नहीं की गई थी। जिस कारण सैम्पल रबड़ी कुल्फी की स्वतः ही खराब हो गये और जांच में खराब पाये गये है। इसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मुझ अप्रार्थी कां कोई दोष नहीं है इसलिए मुझ अप्रार्थी को उक्त अपराध से दोष मुक्त किया जावे।

5. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/495/एक्ट/2025/495 दिनांक 06.05.202 में उक्त नमूना Sub standard food पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा Sub Standard food का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री शिव कुमार पुत्र ईन्दर दास (मालिक व विक्रेता) मै0 सुनीता आईसक्रीम, वार्ड न. 29 नजदीक पीपल चौक सूरतगढ़ निवासी बिजली बोर्ड के पीछे वार्ड न. 19 सूरतगढ़ को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner